

17-7-19

पत्रावली पेशदुर । अग्रणी-अधिवक्ता  
 उपस्थित । अग्रणी / वादिजा अधिवक्ता उप  
 नहीं । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।  
 दिनांक 12-10-17 को अग्रणी-पत्र शीघ्र  
 सुनवाई के साथ वाद विद्वा अग्रणी पत्र भी  
 वादिजा की ऊपर से प्रस्तुत किया गया था  
 जिसमें लोक भावना के आधारित राजीनामा होने  
 पर वह प्रस्तुत अग्रणी पत्र को स्वीकार कर  
 बिना किसी शर्त एवं शर्तों के वाद निरस्त  
 करना चाहा गया है । अग्रणी-अधिवक्ता को  
 भी सुना गया । अग्रणी-अधिवक्ता द्वारा  
 वाद विद्वा किये जाने पर अन्याय की गयी ।  
 तथा इस वादत आरोपों पर उत्तराधिकार किये गये  
 अतः में न्यायालय वादिजा (अग्रणी का अग्रणी  
 पत्र स्वीकार करते हुए वाद-विद्वा की अनुमति  
 प्रदान की जाती है पत्रावली पेशदुर-सुमा  
 न्वर से कम है । निष्पत्ति से ईजलास  
 सुनाया गया ।

उप खण्ड अग्रणी  
 जयपुर (पश्चिम), जयपुर

